

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
प्रकाशचन्द बनाम कन्हैयालाल

तारीख हुक्म

1704
2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

12/01/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील को नोट प्रेस करते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थीगण अब अपनी अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः अपील अपीलार्थीगण नोट प्रेस किये जाने से खारिज फरमाई जावे। चूँकि अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील नोट प्रेस कर अपील खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है। अतः अपील अपीलार्थीगण नोट प्रेस किये जाने से खारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।